रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2000/कार्तिक 18, 1922
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2000/KARTIKA 18, 1922

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2000

संख्या 306-1/99-टी आर ए आई (इकॉन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा (2) के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत के बाहर, जिन टेरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

दूरसंचार टैरिफ (दसवां संशोधन) आदेश, 2000

(2000 का क्रमांक 4)

भाग –I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक , विस्तार और प्रारंभ :

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (दसवां संशोधन) आदेश 2000" के नाम से जाना जाएगा ।

(ii) यह आदेश 1 दिसंबर 2000 से लागू होगा ।

भाग – II

टैरिफ

2. (बहुमंजिले भवनों, अन्य इमारतों, सहकारी आवास समितियों के लिए) फ्रेंचाइज्ड ग्रुप "पी बी एक्स" या "पी ए बी एक्स" और "इ पी ए बी एक्स" जो "डी आई डी" सुविधायुक्त हों, के निमित्त टैरिफ को निम्नलिखित के अनुसार बदला जाता है ।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ), 1999 की अनुसूची I में , मासिक किराया निर्धारित करने वाली, मद (16. बी.ii) के निमित्त, निम्नलिखित परिवर्तन हैं :

"125 रूपये प्रति माह के स्थान पर"	"100 रूपये प्रति माह पढे"

4. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ), 1999 की अनुसूची I में, कॉल प्रभार निर्धारित करने वाली, मद (16. बी. iv) में, विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित के अनुसार, बदला गया है :–

(क)	500 मीटर्ड कॉल यूनिट प्रति माह तक , प्रति मीटर्ड काल यूनिट, कॉल प्रभार	0.90 रू0
(ख)	500 मीटर्ड कॉल यूनिट प्रति माह से अधिक कॉलों के लिए, प्रति मीटर्ड कॉल यूनिट कॉल प्रभार	1.10 रु0

भाग – III

व्याख्यात्मक ज्ञापन

4. इस आदेश के अनुलग्नक "क" में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टेरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है ।

आदेशानुसार,

हर्ष वर्धन सिंह, सलाहकार (आर्थिक)

अनुलग्नक 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पिछले वर्ष, अपनी टैरिफ पुनःसंतुलन कार्रवाई के दौरान, टी आर ए आई ने किरायों में वृद्धि का आदेश दिया था । उसके बाद खास तौर पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (आगे "प्राधिकरण") ने देखा कि कम उपयोग करने वाले समूहों को "डी आई डी फ्रेंचाइजीज" एक सस्ता विकल्प उपलब्ध कराते हैं ।

2. डी आई डी फ्रेंचाइजीज के विस्तारित उपयोक्ताओं (एक्सटेंसन यूजर्स) के निमित्त, टी टी ओ, 1999 में, मानक टैरिफ पैकेज को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निश्चित किया गया था। प्राधिकरण ने देखा कि (प्रतिमाह 200 तक मीटर्ड कॉल करने वाले) शहरी कम–उपयोक्ताओं के निमित्त, टैरिफ न बदलने पर, "डी आई डी फ्रेंचाइजीज" के "एक्सटेंसन यूजर्स" पर लागू टैरिफ टी टी ओ, 1999 में परिकल्पित से, बहुत कम आकर्षक रह गए, और सेवा की अर्थ क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित हो गई ।

3. प्राधिकरण ने, टी टी ओ, 1999 में, बढ़े हुए किरायों के संदर्भ में, टेली–डेनसिटी या दूरसंचार –घनत्व के विस्तार के एक साधन के रूप में, "डी आई डी फ्रेंचाइजीज" के महत्व पर जोर दिया था । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि, डी आई डी के एक्सटेंसन यूजर या उपयोक्ता का संपर्क डी आई डी फ्रेंचाइजी के साथ उसके बनिस्पत आसानी से हो जाता है, जो "डी ई एल" के संगत यूजर द्वारा अपने सेवा प्रदाता से होता है । इस प्रकार यह सेवा, डी ई एल के मुकाबले अधिक उपयोक्ता–अनुकूल या "यूजर फ्रेंडली" हो सकती है। प्राधिकरण ने यह भी देखा कि, डी ई एल की तुलना में, प्रति उपयोक्ता कम निवेश का विकल्प भी, डी आई डी देता है, प्राधिकरण इस नतीजे पर पहुंचा है कि, डी ई एल की तुलना में इस सेवा को आकर्षक बनाने के लिए, डी आई डी के एक्सटेंसन यूजर्स के निमित्त, वर्तमान टैरिफों में परिवर्तन वांछनीय है । तद्नुसार, डी आई डी के अंततः उपयोक्ताओं याने "एंड – यूजर्स" के निमित्त टैरिफों में संशोधन किया गया है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2000

No. 306-1/99-TRAI (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (Tenth Amendment) Order 2000 (4 of 2000)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :

(i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Tenth Amendment) Order 2000."

(ii) The Order shall come into force with effect from 1st December, 2000.

Section II

Tariff

2. The tariff for Franchised Group PBX, or PABX and EPABX with DID facility (for Multistorey Buildings, other Buildings, Co-operative Housing Societies) is changed as detailed below.

3. For item (16.b.ii) in Schedule 1 of the Telecommunication Tariff Order (TTO), 1999 prescribing Monthly Rental, the changes are as under:

Read	In place of
"Rs.100 per month"	"Rs.125 per month"